

पूर्वी भारत में द्वितीय हरित क्रांति योजनान्तर्गत संपत्ति निर्माण कार्यक्रम

ASSETS BUILDING ACTIVITY (संपत्ति निर्माण कार्यक्रम)

कृषि यंत्र पर अनुदान हेतु आवेदन का विहित प्रपत्र

आवेदन का क्रमांक दिनांक वित्तीय वर्ष
(कार्यालय द्वारा भरा जायेगा)

1. कृषक का नाम -
2. पिता / पति का नाम -
3. ग्राम डाकघर पंचायत प्रखण्ड
अनुमंडल जिला दूरभाष / मोबाईल सं०
4. कृषक श्रेणी (उपयुक्त श्रेणी में / चिन्ह लगायें)
अनुसूचित जाति () अनुसूचित जन जाति () पिछड़ी जाति ()
अत्यंत पिछड़ी जाति () अल्प संख्यक () महिला () सामान्य ()
5. उम्र (जन्म तिथि) - वर्ष महीना दिन
6. पहचान चिन्ह :
7. कृषक के पास उपलब्ध भू- धारिता का विवरण (पावर टेलर पर अनुदान के लिए न्यूनतम 1.0 एकड़ / छोटे ट्रैक्टर 25 अश्वशक्ति तक के लिए 2.0 एकड़/ कम्बाईन हार्वेस्टर के लिए 5 एकड़ भू- धारिता अनिवार्य है!
(अद्यतन रशीद की प्रति संलग्न किया जायेगा)
ग्राम : खाता सं० खेसरा सं० रकबा (एकड़ में)
अन्य छोटे कृषि यंत्र (रु० 25000/- तक की लागत) के लिए कम से कम आधा एकड़ भू- धारिता का प्रमाण या पंचायत प्रतिनिधि / मुखिया / कर्मचारी / क्षेत्र पर्यवेक्षक या प्राधिकृत कर्मचारी से पहचान आवश्यक होगी !
8. क्रय किये जाने वाले यंत्र के संबंध में विवरण -
(क) यंत्र का मेक / मॉडल अथवा कम्पनी का ब्रांड नाम -
(ख) यंत्र की अश्व शक्ति / विशिष्टता -
(ग) यंत्र का निर्धारित मूल्य -
9. मैं पूरे मूल्य का नकद भुगतान कर उक्त कृषि यंत्र खरीदना चाहता हूँ / मैं विक्रेता से अनुदानित दर पर कृषि यंत्र खरीदना चाहता हूँ / मैं बैंक ऋण लेकर कृषि यंत्र खरीदना चाहता हूँ ! (जो लागू न हो काट दें)
10. मेरे द्वारा पूर्व (पूर्ववर्ती वर्षों / वर्तमान वर्ष में इस आवेदन से पूर्व) मैं अनुदान पर उक्त कृषि यंत्र नहीं लिया गया है ! प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त विवरणी सही है ! अनुदानित दर पर क्रय किये कृषि यंत्र का मैं स्वयं उपयोग करूँगा / करूँगी ! इसे 5 वर्ष तक न तो हस्तांतरित करूँगा / करूँगी और न ही इसे न बेचूँगा / बेचूँगी ! मैं जानता / जानती हूँ कि गलत सूचना के आधार पर अनुदान प्राप्त करने के बाद प्रमाणित होने पर अनुदान की राशि मुझसे वसूली जायेगी एवं मेरे विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी !

किसान का हस्ताक्षर / अंगुठे का निशान एवं तिथि

अनुशंसा

मैं आवेदक किसान को जानता हूँ ! ये स्वयं कृषि कार्य करते हैं ! इन्हें अनुदानित दर पर उक्त कृषि यंत्र उपलब्ध होने पर ये कृषि का कार्य बेहतर तरीके से कर सकते हैं ! इन्हें अनुदानित दर पर उक्त कृषि यंत्र उपलब्ध कराने हेतु अनुशंसा करता हूँ !

क्षेत्र पर्यवेक्षक / प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी /
या प्राधिकृत सदस्य का नाम, हस्ताक्षर एवं मुहर

कर्मचारी / पंचायत प्रतिनिधि / मुखिया

शपथ—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मुझे या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य को पूर्व में कृषि विभाग (जिला कृषि कार्यालय/जिला उद्यान कार्यालय/आत्मा/भूमि संरक्षण, मनरेगा, ITDA एवं अन्य विभाग) द्वारा किसी भी तरह का कृषि उपकरण का लाभ नहीं दिया गया है। यदि भविष्य में ऐसा पाया जाता है तो विभाग पम्पसेट का मूल्य के समतुल्य राशि वापस लेने में सक्षम होगी।

मैं घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त विवरणी बिल्कुल सत्य है।

आवेदक का हस्ताक्षर